BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 181/2026

<u>IN THE MATTER OF:</u>

DIPENDRA JAIN …APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	JOINT COMMITTEE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, FIROZABAD IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.04.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 06.05.2026

Place: NOIDA

JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT

In the matter of O. A. No. 181/2026

Dipendra Jain V/S State of Uttar Pradesh

Background:

Hon'ble NGT Principal Bench, Delhi vide its order dated 09.04.2026 in the matter of Dipendra Jain V/S State of Uttar Pradesh (O. A. No. 181/2026) directed for joint inspection of the site located at service road of NH19 at Subhash Tiraha in Shikohabad, District Firozabad by the designated Joint Committee comprising District Magistrate Firozabad, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution control Board, Firozabad and Divisional Forest Officer Firozabad. Related portion of the order passed by Hon'ble NGT is as given below:

5. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of District Magistrate, Firozabad, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Firozabad and Divisional Forest Officer, Firozabad and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law by giving opportunity of being heard to the concerned persons/project proponents and to submit action taken report within next one month.

6. The District Magistrate, Firozabad will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.

7. Report by the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities may be filed as directed above before the learned Registrar General

of this Tribunal, who shall be at liberty to place the matter before the Bench if further orders are necessary.

9. The present original application is disposed of accordingly.

The Joint Committee constituted by Hon'ble Tribunal comprising following officials

1. Additional District Magistrate (Namami Gange), Firozabad (Nominated by the District Magistrate, Firozabad)
2. Divisional Forest Officer, Firozabad
3. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Firozabad

Copy of the Hon'ble NGT order is attached as Annexure-1.

2.Factual Position:

The Joint Committee meeting convened on 23.04.2026 at the Firozabad Collectorate and scheduled the site inspection for 30.04.2026. Accordingly, a joint inspection of the site located on the NH19 service road at Subhash Tiraha, Shikohabad, District Firozabad, was conducted on 30.04.2026 by the Joint Committee comprising Shri Mohan Lal Gupta, Additional District Magistrate (Namami Gange), Firozabad (Nominated by the District Magistrate, Firozabad), Dr. Bhanendra Singh, Divisional Forest Officer, Firozabad, and Shri Bhuvan Prakash Yadav, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Firozabad. The inspection was carried out in the presence of the applicant and Shri Harendra Baghel (alias Bobby Baghel), leading to the following field observations:

1. A spot memo was prepared on-site during the joint inspection, a copy of which is attached herewith as annexure-2)
2. During the visit, the applicant, Mr. Dipendra Kumar Jain, stated: "I have not submitted any application to the Hon'ble National Green Tribunal.

Someone is misusing my name, and I am not concerned with O.A. No. 181/2026." (Annexure-3)

3. The land in question, Gata No. 480 (Area: 0.3720 ha) and 481 (Area:0.122 ha) is a private property and not a public park. It is owned by Ashok Chandra and Subhash Chandra, sons of Murari Lal and residents of Gram Sahjalpur, Tehsil Shikohabad, District Firozabad. (Annexure 4&5)
4. The status of the said land was converted from agricultural to non-agricultural (residential) land under Section 80 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, by order of the Sub-Divisional Magistrate's Court dated 30/01/2026. (Annexure -6)

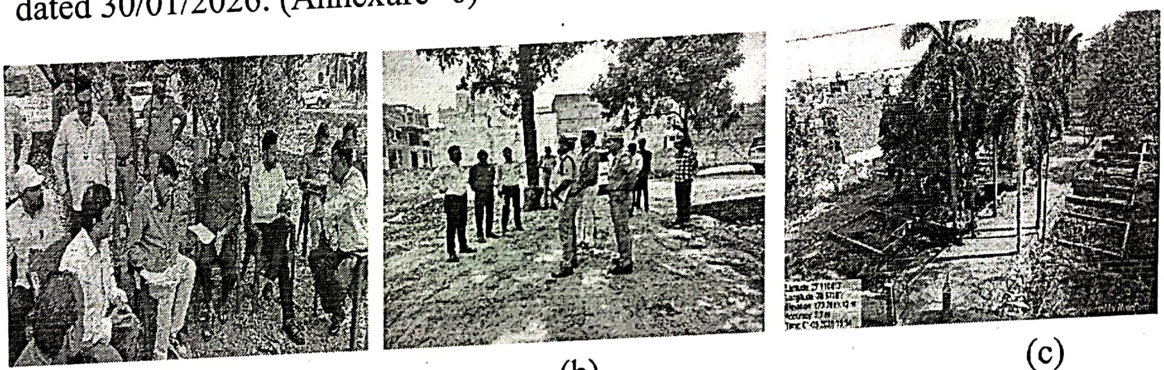

(a) (b) (c)

Photographs of joint inspection (a&b) and of the site (c)

5. The landowner declined to attend the site inspection due to health reasons. However, his submissions were recorded via telephone.
6. Shri Harendra Baghel (alias Bobby Baghel) and Shri Anil Baghel to develop the property as "Mahaveer Plaza." While no written agreement was provided, the owner confirmed this arrangement via telephone.
7. Physical inspection revealed internal partitioning with 2-3 feet high boundary walls and 2 kaccha road (unpaved) of 2-3 feet hight also constructed on the site. No major structural construction has commenced.
8. The project proponent failed to produce an approved layout from the Firozabad-Shikohabad Development Authority (FSDA).
9. A report was obtained from the Secretary, Firozabad-Shikohabad Development Authority (FSDA), which reveals that the authority has

registered Case No. 158/2025 against the project proponent for unauthorized/illegal plotting. To regularize the development, the project proponent has recently submitted a layout plan for approval, which is currently under technical review by the FSDA (Annexure-7).

10. Regional Officer, UPPCB, Firozabad stated that the project is a plotting project having plot area of 4940 sq. meter. The said plotting project is not covered under EIA notification 2006 framed under Environment Act 1986 and exempted from obtaining Environmental Clerance (EC). The said project is also exempted from obtaining consent to establish (CTE) and Consent to operate (CTO) under the provision of The water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
11. A report was also sought from Executive officer Nagar Palika Parishad Shikohabad. According to the report, a No Objection Certificate (NOC) has been formally issued on dated 27.01.2026 to the FSDA for the approval of the proposed layout plan. (Annexure-8)
12. The owner planted several fruit & ornamental species, such as Jamun, Mango and Ashok, many years ago, which have since become full-grown trees. 43 trees of different species are standing in the area (Restricted species -24 and exempted species-19 as per U.P Tree Protection Act 1976). (Annexure -9)
13. During the visit, it was found that concerned project proponent had illegally felled one Neem tree with a stump circumference of 103 cm and lopped the branches of five other trees (three Mango and two Jamun). Thus, he has damaged the total six trees of restricted species.
14. The Range Forest Officer (RFO), Shikohabad, informed the committee that H-2 Case No. 02/Shikohabad/2026-27, dated 22.04.2026, has been registered under Sections 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, for the offence of illegal felling and lopping of trees against

RYadav

Ashok Chandra, Subhash Chandra, and Harendra Baghel (alias Bobby Baghel). (Annexure-10)

15. Mr. Harendra Baghel (alias Bobby Baghel) stated that he had unknowingly felled one tree and lopped five others, as they were obstructing the road and wall construction, without obtaining the requisite permission.

Recommendations:

Based on the findings, the Joint Committee recommends the following:

1. The project proponent must immediately cease all further activity until a formal layout plan is approved by the Firozabad-Shikohabad Development Authority (FSDA).
2. The Forest Department shall proceed with the punitive action as per the U.P. Tree Protection Act, 1976, for the unauthorized felling/lopping.
3. The Firozabad-Shikohabad Development Authority (FSDA) shall initiate formal proceedings to impose penalties on the project proponent for the unauthorized commencement of plotting and site development prior to obtaining the requisite layout approvals.
4. The project proponent is mandated to ensure the protection and survival of the remaining 43 trees on the property. Any future removal or damage to these trees must strictly adhere to the prescribed legal procedures and prior permissions.

Bhuvan Prakash Yadav Regional Officer, UPPCB, Firozabad	Mohan ~~Lal~~ Gupta Additional District Magistrate (Namami Gange), Firozabad	Dr. Bhanendra Singh Divisional Forest Officer, Firozabad

Item No. 01 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 181/2026

Dipendra Jain Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh. Respondent

Date of hearing: 09.04.2026

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the Applicant.

ORDER

1. Mr. Dipendra Jain has sent to this Tribunal by post the present undated letter petition (received by the Tribunal on 29.12.2025) which has been treated and registered as O.A. No. 181/2026 for exercise of suo moto jurisdiction in view of law laid down by Hon'ble Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401.***

2. The Applicant has raised grievances regarding illegal felling/pruning of trees being on the service road of NH-19 at Subhash Tiraha in Shikohabad, District Firozabad, Uttar Pradesh. The relevant part of the O.A. enumerating grievances of the applicant is reproduced as follows:-

> *xxx.....................................xxx...xxx*
>
> *"With due respect, I wish to bring to your attention the situation of an old and renowned public park located in the Shikohabad area of Firozabad district. This park has been playing a significant role in maintaining a clean environment in the area for the past several decades. This park has numerous large and shady trees, medicinal plants, and provides a natural habitat for birds and other animals.*
>
> *I would like to respectfully inform you that there is a green area of approximately seven bighas on the service road of NH-19 at Subhash Tiraha in Shikohabad tehsil of Firozabad district, Agra division, Uttar Pradesh. This area is covered with flowering, fruit-bearing, and shady*

trees and was being used by the local residents and children of Shikohabad for recreation and leisure. Ashok Kumar Jain, a resident of Shikohabad, has entered into an agreement with Harendra Baghel Urf Bobby Baghel, & Anil Baghel resident of Shivganga Market, Katra Bazaar, Shikohabad, for the construction of a shopping complex for personal gain. This is being done without informing the Firozabad-Shikohabad Development Authority and without obtaining the necessary approvals for the building plan. The proposed plan is attached. In this area, in collusion with local administrative officials, trees are being thinned out daily under the pretext of pruning, and the remaining green trees are being cut down after dark. The wood is then removed from the area, and the remaining roots and stumps are dug up and the holes filled. Due to the destruction of this park, local elderly people, women, and children have no other suitable place left for walking and playing. For some time, a large statue of Mahavir Swami was also installed in this park, which has now been removed. This is causing considerable inconvenience to the people, especially the Jain community, for their worship and prayers! Unfortunately, for the past few days, large-scale tree felling has been taking place in this garden without any prior notice, permission, or legal process. According to local residents, this is being done to facilitate a private construction project or for commercial purposes. This felling is not only a violation of the Environment Protection Act, 1986 and the Tree Preservation Rules, but also goes 'against the guidelines issued from time to time by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT).

Due to the tree felling, air pollution in the area is increasing rapidly. Previously, the garden helped regulate the temperature, but now a noticeable increase in heat is being felt. In addition, reduced absorption of rainwater is leading to waterlogging problems. The chirping of birds is disappearing, and biodiversity is under serious threat. This is having an adverse impact on the health of children, the elderly, and the general public.

Despite complaints lodged by local residents with the municipality and concerned departments, no concrete action has been taken so far. This has caused anger and frustration among the citizens. If this problem is not addressed in a timely manner, the environmental imbalance could become even more severe in the future.
Therefore, I humbly request that you conduct an impartial investigation into this matter, immediately stop the illegal felling of trees in the garden, and take strict legal action against the guilty individuals or organizations. Furthermore, I request that new trees be planted in place of the felled ones to compensate for the environmental damage.

I have full faith that the Hon'ble National Green Tribunal will take prompt cognizance of this serious issue and take the necessary steps towards environmental protection.

Your kind consideration would be highly appreciated. "

3. None has appeared for the applicant today. However, instead of dismissing the application in default we consider it appropriate to proceed further and look into the grievances raised in the application and documents enclosed with the same.

4. The averments made in the O.A. raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures and to send copies of its report to the concerned authorities for taking appropriate action in accordance with law.

5. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of District Magistrate, Firozabad, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Firozabad and Divisional Forest Officer, Firozabad and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law by giving opportunity of being heard to the concerned persons/project proponents and to submit action taken report within next one month.

6. The District Magistrate, Firozabad will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the

Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.

7. Report by the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities may be filed as directed above before the learned Registrar General of this Tribunal, who shall be at liberty to place the matter before the Bench if further orders are considered to be necessary.

8. The District Magistrate, Firozabad is directed to ensure requisite compliance and submission of reports within specified period and in case of non-compliance, exemplary costs may be imposed by this Tribunal on the District Magistrate, Firozabad and concerned officers/authorities.

9. The present original application is disposed of accordingly.

10. However, in the eventuality of the applicant or concerned persons/ project proponents having any grievances against the report of the Joint Committee or action taken by the concerned authorities, the Applicant or the concerned persons/project proponents may move this Tribunal by way of appropriate proceedings for such further orders as may be considered necessary.

11. A copy of this order may be sent to the Member Secretary, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Firozabad and the Divisional Forest Officer, Firozabad by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 09th, 2026
Original Application No. 181/2026
AM

स्पाट मेमो 16

ANNEXURE-2

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण OA सं० 181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दि० 07/04/2026 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा शिकोहाबाद में सुभाष तिराहा NH19 सर्विस पट्टी पर गाटा सं० 480, 481 (क्षे० 0.122 है०, 0.3720 है०) में स्थित परिसर (महावीर प्लाजा) की स्थलीय जाँच आज दिनांक 30/04/2026 को की गयी। जाँच के दौरान शिकायत कर्ता श्री दीपेन्द्र जैन एवं श्री हरेन्द्र बघेल उर्फ बाबी बघेल मौके पर उपस्थित रहे। भूखण्ड स्वामी श्री अशोक चन्द्र एवं श्री सुभाषचन्द्र मौके पर उपस्थित नहीं थे भूखण्ड स्वामी श्री अशोक चन्द्र के दूरभाष पर फोन द्वारा वार्ता कर उन्हे मौके पर बुलाया गया लेकिन उन्होंने अस्वस्थ होने के कारण आने में असमर्थता व्यक्त की गयी। श्री दीपेन्द्र जैन से उनकी शिकायत में वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में वार्ता की गयी। शिकायत कर्ता श्री दीपेन्द्र जैन द्वारा जाँच समिति को अवगत कराया कि उनके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है मेरे नाम से किसी व्यक्ति ने मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर दुरुपयोग किया गया है। स्थलीय जाँच में परिसर में 01 वृक्ष नीम अवैध कटा हुआ एवं 05 वृक्षों (03 आम व 02 जामुन) की शाखायें कटी हुई पायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, शिकोहाबाद द्वारा मौके पर जाँच समिति को अवगत कराया गया कि परिसर में बिना अनुमति काटे गये वृक्ष व शाखाओं के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वन अपराध दर्ज किया गया है। गाटा सं० 480, 481 में स्थित यह परिसर निजी स्वामित्व की भूमि है जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार अशोक चन्द्र व सुभाष चन्द्र पुत्र मुरारीलाल के नाम दर्ज है इस भूमि पर कोई पार्क नहीं है वर्तमान में यह भूखण्ड उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी, अकृषिक में दर्ज है।

Djain
(दीपेन्द्र जैन)
शिकायतकर्ता

(हरेन्द्र कुमार उर्फ बाबी बघेल)

(राजीव कुमार)
E.O. NPP शिकोहाबाद

[illegible]

Shyam
R.O. Shikohabad

(आर० के० सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
शिकोहाबाद

भुवन प्रकाश यादव
क्षेत्रीय अधिकारी
यूपीपीसीबी - फिरोजाबाद

30/04/26
Dr. Bhanendra Singh
DFO Firozabad

30/04/26
ADM (NS)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP39268417343911Y

e-Stamp

सत्यमेव जयते

A.L. Name Munga Ram
STAMP VENDER
Licence Number- 24/1993
E-Stamping ID- UP1440310
Tehsil- Shikohabad (Firozabad)

Certificate No.	:	IN-UP39268417343911Y
Certificate Issued Date	:	02-May-2026 12:12 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14403104/ SHIKOHABAD/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14403104735101452423 64Y
Purchased by	:	DEEPENDRA KUMAR JAIN SON OF INDRADHWAJ JAIN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DEEPENDRA KUMAR JAIN SON OF INDRADHWAJ JAIN
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DEEPENDRA KUMAR JAIN SON OF INDRADHWAJ JAIN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

भारत INDIA 5Rs FIVE RUPEES NOTARIAL
भारत INDIA 5Rs FIVE RUPEES NOTARIAL
CANCELLED

IN-UP39268417343911Y

Please write or type below this line

NOTARY
Chandra Kant Singh
Advocate
Distt. Firozabad
Regd. No. 7695
GOVT. OF INDIA

D.Jain

OPPO Reno10 5G

शपथपत्र

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
फिरोजाबाद

शपथपत्र मिनजानिव दीपेन्द्र कुमार जैन उम्र लग0 50 वर्ष पुत्र श्री इन्द्रध्वज जैन निवासी मोहम्मद माह शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न ब्यान करता हूँ –

1– यह कि मेरे नाम एवं पते का कोई अन्य व्यक्ति उक्त पते पर निवास नहीं करता है।

2– यह कि दिनांक 30–4–2026 को शिकोहाबाद एन0एच0–2 सर्विस रोड सुभाष तिराहा शिकोहाबाद पर गाटा सं0 480 एवं 481 क्षेत्रफल क्रमशः 0.122 हैक्टेयर 0.372 हैक्टेयर स्थित परिसर (महावीर प्लाजा) पर माननीय एन0जी0टी0 ओ0बी0 संख्या 181/2026 के संदर्भ गठित संयुक्त समिति की जॉच में मेरा ब्यान लिया गया है।

यह कि मेरे द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में कोई भी शिकायती पत्र नहीं दिया गया है।

यह कि मेरे नाम से किसी व्यक्ति ने फर्जी हस्ताक्षर कर मेरे नाम का दुरूपयोग किया है।

5– यह कि महावीर प्लाजा गाटा सं0 480, 481 की सम्पत्ति से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है न मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है और न अशोक चन्द्र एवं सुभाष चन्द्र से मेरा कोई विवाद है।

6– यह कि मेरे नाम से माननीय एन0जी0टी0 में की गई शिकायत से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

सत्यापन– शपथकर्ता शपथपूर्वक सत्यापित करता है कि शपथपत्र की मद सं0 1 लगायत 6 का कुल कथन मेरी निजी जानकारी के आधार पर सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न झूँठ है। ईश्वर मेरी मदद करें। सत्यापन आज दिनांक 02–5–2026 को वमुकाम शिकोहाबाद किया गया।

शपथकर्ता

NOTARY
Chandra Kant Singh
Advocate
Distt. Firozabad
Reg. No. 7698
GOVT. OF INDIA

Explained to/Read Shri...
Who understands the contents there of
Solemnly affirmed before me by the above
Named person on.......... At.........am/pm
my office/Residence identified by Shri...
Who is personally known to me
Received Fee Rs. [illegible]

Chandra Kant Singh Advocate
Distt. Notary Govt of India
Firozabad

फार्म (प) 11 (उत्तर प्रदेश)

खतौनी खाता संख्या ...

भूलेख प्रपत्र सं० प–11 (फसली 1408)

1	2	3	4	5	6	7	8
३५-	सुभाषचन्द्र व अशोक पुत्र ... चन्द्र पुत्रगण मुरारी लाल निवासी शिकोहाबाद	बन्दोबस्त ४८-४९फ०	४८१	०.१२२	बि०स०		
				आदेश प्रति खतौनी			
			1421फ	न्यायालय अपर आयुक्त आगरा मण्डल आगरा अपील सं. 27/2008 में अशोक कुमार आदि बनाम राज्य सरकार अन्तर्गत धारा 229 बी. यू.पी. जे.ए. एल.आर. एक्ट ... में पारित आदेश दि० 14-11-13 के अनुसार N.Z.A. की खतौनी में अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दि० 28-03-2008 व डिक्री दि० 17-1-2009 निरस्त किया जाता है। दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा अपीलकर्ता की गाटा सं० 481/0.122 हे० की संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। ह० अपठित 22-11-14			
	योग श्रेणी १२		३	०.३२८	बि०स०		
	श्रेणी १३ —		सायर				
३६	नारायण इण्टर कालेज शिकोहाबाद						
	श्रेणी १४		—		नदारद		

1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी १२—	कृषि अयोग्य भूमि —					
	(१) —	जलमग्न भूमि —					
	(२) —	आबादी सड़क रास्ता रेलवे भवन आदि —					
36-	आबादी		६६२मि	६.२०६			
	(३) श्मशान (मरघट) कब्रिस्तान						
38-	मरघट		३८०मि	०.०३६			
	योग श्रेणी १२—		२	६.२४२			
	योग खेवट खाता नं० ५						
			२०	८.२०५	३२५३		

ANNEXURE-4

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-5

20

Annexure-5

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 125952202604395

ग्राम क्रमांक : 125952 ग्राम का नाम (परगना) : शहजलपुर(शिकोहाबाद) तहसील : शिकोहाबाद जनपद : फिरोजाबाद फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00276

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
480	1) अशोक चन्द्र / मुरारीलाल / शिकोहाबाद 2) सुभाषचन्द्र / मुरारीलाल / शिकोहाबाद		1375फ	480(1259520480000012)	0.3720	1) 1/2 2) 1/2	1) 0.1860 2) 0.1860	0.00
							0.3720	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.3720 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.3720)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		480(1259520480000012)			480(1259520480000012)	

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1433फ० आदेश श्रीमान न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय शिकोहाबाद वाद सं० t802025084904 / 31.01.2026 अशोक कुमार आदि बनाम उ०प्र० सरकार अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 में आदेश हुआ कि उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तो के अधीन प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720हे0 स्थित ग्राम शहजलपुर परगना व तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को आवासीय प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। यदि भूमिधर उद्घोषणा की दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर भूमि पर अकृषिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं करता है तो उद्घोषणा स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जायेगी । (डिजिटल हस्ताक्षर : MUKESHPAL SINGH / 11-02-2026)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) आवादी घोषित। (डिजिटल हस्ताक्षर: VEERESHVAR SINGH / 09-03-2018)

पूर्व आदेशों का विवरण

Scanned with OKEN Scanner

Data Digitally Signed by: दिनाँक/समय/स्थान: 30-04-2026 03:27:18 तहसील : शिकोहाबाद यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MUKESH KUMAR तहसील : शिकोहाबाद मुद्रित दिनांक एवं समय: 30-04-2026 03:27:18 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	

भू-अभिलेख कम्प्यूटर कक्ष
तहसील-शिकोहाबाद जनपद-फिरोजाबाद
30 APR 2026
उद्धरण खतौनी डिजिटल
हेतु शुल्क सरकारी दर के अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - फिरोजाबाद, तहसील - शिकोहाबाद
कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025084904
आवेदक का नाम :- अशोक कुमार व सुभाषचंद्र
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 31/01/2026

आदेश

मिसिलवन्द वाद सं0 105/2025
मौजा-शहजलपुर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री अशोक कुमार व सुभाषचन्द्र पुत्रगण मुरारीलाल नि0 ग्राम शहजलपुर तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के द्वारा अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (यथा संशोधित 2016) के तहत मौजा शहजलपुर के खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720है0 भूमि को आबादी/अकृषिक भूमि घोषित कराये जाने हेतु दिनांक 19.12.2025 को आॅन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। आॅन लाईन आवेदन पर तहसीलदार शिकोहाबाद से आख्या मंगाई गई।

तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 28.01.2026 प्रेषित की गई। तहसीलदार शिकोहाबाद की आख्या के अनुसार मौजा शहजलपुर के खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720है0 भूमि में आवेदक अशोक कुमार सुभाषचद्र पुत्रगण मुरारीलाल नि0 ग्राम शहजलपुर तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। धारा 80 के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा शहजलपुर के खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720है0 सम्मिलित खाता है तथा सम्मिलित खाता संख्यां के सभी सहखातेदारों द्वारा आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है। प्रस्तावित गाटे के संबंध में उत्तर प्रदेश के किसी भी न्यायालय में किसी भी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रस्तावित गाटे के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नही हुआ था और न ही वर्तमान में कोई वाद प्रचलित है। उक्त भूमि कृषि कार्य, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि के अकृषिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेन्स होने की संभावना नहीं है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं हैं। आवेदक की अकृषिक घोषित की जाने वाली भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 77 के अन्तर्गत खलियान, खाद के गड्ढों, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान, पोखर, तालाब आदि की भूमि नही है (जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 व 45 संलग्न है।) व प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज, सीलिंग, नजूल, शत्रु सम्पत्ति आदि की भूमि नही है। अतः मौजा शहजलपुर के खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720है0 भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजन में आने से नियम 85(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अधिनियम की धारा-80(1) के अन्तर्गत लगानमुक्त कर अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद से प्राप्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकराण, फिरोजाबाद विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आता है। तहसील शिकोहाबाद से पत्र के साथ संलग्न कोर्डीनेट अक्षान्तर-27.110099 व देशान्तर-78.571851 के अनुसार प्रचलित महायोजना-2031 में स्थल मौजा-शहजलपुर, खाता संख्या 276, गाटा संख्या 480, रकवा 0.3720है0, भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। प्राधिकरण के पत्र संख्या 413/वि0प्र0-2024-25 दिनांक 05.11.2024 के अनुसार उपरोक्त

भू-उपयोग में अनुमन्य प्रयोगों हेतु प्राधिकरण को कोई आपत्ति नही है। स्थल पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कनारा अनिवार्य होगा।

आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार आवेदक द्वारा उद्घोषणा शुल्क की धनराशि 63612.00रू0 तथा न्यायलय शुल्क की धनराशि रू0 50.00 कुल धनराशि रू0 63662.00रू0 आॅन लाईन पोर्टल पर बैंक रिफरेन्स संख्या/चालान संख्या आर.ए.जे. 260009416 से दिनांक 31.01.2026 को जमा की जा चुकी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विस्तृत आख्या तहसीलदार शिकोहाबाद ने उक्त आवेदन को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की है तथा कोई प्रतिकूल तथ्य न्यायालय के समक्ष में नही लाया गया है। वाद में किसी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार शिकोहाबाद की आख्या दिनांक 28.01.2026 स्वीकार कर उक्त वर्णित कृषि भूमि को फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद की आख्या में वर्णित सशर्त अनुपालनार्थ उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि एक पक्षीय रूप से घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु निर्बधंन यह है कि आवेदक इस घोषणा का प्रयोग मात्र बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये करेगा तथा धारा 80(2) के अध्यधीन पारित यह आदेश भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि का नहीं होगा तथा अधिग्रहण/मुआवजा आदि किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही के लिये उक्त भूमि निरन्तर कृषिक भूमि के रूप में समझी जायेगी। उपरिवर्णीत आख्या तहसीलदार शिकोहाबाद दिनांक 28.01.2026 पत्रावली का अभिन्न अंग रहेगी। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। उक्तानुसार निम्नवत् आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा आॅनलाइन प्रस्तुत की गई जॉच आख्या के आधार पर आवेदक अशोक कुमार व सुभाषचन्द्र पुत्रगण मुरारीलाल नि0 ग्राम शहजलपुर तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत आॅनलाइन आवेदन संख्या टी802025084904 भूमि खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720है0 स्थित ग्राम शहजलपुर, परगना व तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जो कि अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित आर्डीनेस 2019 दिनांक 10 मार्च 2019 80(2) निम्नवत् शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है:-

01. यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धित गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा 80(2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपतगत हो जायेगी।

02. भविष्य में यदि कोई विपरीत/प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

03. यदि प्रस्तावित भूमि का कोई भी अंश अथवा सम्पूर्ण भाग किसी भी सरकारी योजनान्तर्गत अधिग्रहण की प्रक्रिया में है या भविष्य में प्रस्तावित होता है तो वह अंश अथवा सम्पूर्ण भाग जो भी आच्छादित हो वह इस आदेश से मुक्त रहेगा।

उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तो के अधीन प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 276 के गाटा संख्या 480 रकवा 0.3720है0 स्थित ग्राम शहजलपुर परगना व तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को आवासीय प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक शिकोहाबाद को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

Digitally Signed by:
GAJENDRA PAL SINGH
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 31-01-2026 06:27:50 PM

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

प्रेषक,

सचिव,
फिरो0–शिको0 विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी, (नमामि गंगे)
फिरोजाबाद।

पत्रांक : 85 /वि0प्रा0/2026–27 दिनॉक : 02/05/, 2026

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. No. 181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय से प्राप्त पत्र सं0 1488/सात–भूलेख दिनांक 01.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्राम सहजलपुर तहसील–शिकोहाबाद की गाटा सं0 480 व 481 में ले–आउट स्वीकृत किया गया है ? अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या मांगी गयी है, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि श्री अशोक कुमार व श्री अशोक कुमार द्वारा मुख्तारेआम श्री सुभाष चन्द्र पुत्रगण श्री मुरारीलाल निवासी–शहजलपुर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद द्वारा महावीर प्लाजा, खसरा सं0 480 व 481, मौजा–शहजलपुर, तहसील–शिकोहाबाद, जिला–फिरोजाबाद पर अवैध प्लाटिंग किये जाने के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद सं0 158/2025 (ऑनलाईन वाद सं0 FSDA/S3//ANI/2026/0000478) योजित किया गया, जिसको शमन कराने हेतु आवेदक द्वारा आवासीय तलपट शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। शमन मानचित्र विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

02/05/26

सचिव,
फिरो0–शिको0विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।

D/786Mudassar/OA New Files/New Letters 25-26

ANNEXURE-8

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
शिकोहाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे),
फिरोजाबाद।

पत्रांकः- 298 /एन0पी0पी0एस0/2026-27 दिनांक 02 मई, 2026

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O-A-NO-181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय से निर्गत पत्र सं0 1488/सात-भूलेख दिनांक 01.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O-A-NO-181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद के कार्यालय से निर्गत पत्र सं0 158/25(वाद)/वि0प्रा0/2025-26 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था,जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 4224/ एन0पी0पी0एस0/2025-26 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। (जिसकी छायाप्रति साथ संलग्न है) स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद से अपेक्षित है।

कृपया सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,शिकोहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय – नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद(फिरोजाबाद)

पत्रांकः– 5225 /एन0पी0पी0एस0 /2025–26 दिनांक–03/02/26

सेवा में,

सचिव,
फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
फिरोजाबाद।

विषयः– मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या– 158/25(वाद)/वि0प्र0/2025–26 दिनांक 27.01.2026 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रस्तावित मानचित्र की मौके पर जाकर जाँच की और जाँच में पाया गया कि उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है। उक्त प्रस्तावित भूखण्ड जिसका भवन मानचित्र स्वीकृत होना है, में जल निकासी, पक्की सडक व विधुतीकरण की पूर्ण व्यवस्था है।

अतः पालिका को उक्त प्रस्तावित भूखण्ड के मानचित्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु निर्माण के समय भूस्वामित्व सम्बंधी कोई भी झगडा/विवाद उत्पन्न होने पर निर्गत किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
शिकोहाबाद

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

O/C

Scanned with OKEN Scanner

अनापत्ति निम्न शर्तों के आधार पर प्रेषित है-

1- यह कि मानचित्र में दर्शाया गया भूखण्ड नजूल/तहसील विभाग/सरकारी पट्टा/ग्राम समाज व सरकारी योजना के अन्तर्गत नहीं है।

2- रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

3- प्रदूषण की रोकथाम के लिए दो पेड़ लगाना आवश्यक है।

4- सरकारी भूमि/सड़क व नाली पर अतिक्रमण न किये जाने की शर्तों के आधार पर अनापत्ति दी जाती है।

5- स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद/व्यवधान उत्पन्न होने पर अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

6- विकास प्राधिकरण से स्वीकृति उपरांत ही यह मानचित्र मान्य होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांकः 158/25 (वाद) /वि0प्रा0/2025-26

दिनांक 27/01/~~जनवरी~~, 2026

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका, शिकोहाबाद।

विषयः आपत्ति / अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवेदक श्री अशोक कुमार चन्द्र पुत्र स्व0 श्री मुरारीलाल, निवासी-शहजलपुर, शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद द्वारा स्थल-खसरा सं0 480 व 481 मौजा-शहजलपुर, तहसील शिकोहाबाद पर लगभग 2900 वर्गमी0 भूमि पर प्लाटिंग किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा संस्थित कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 FSDA/S3/ANI/2026/478 का प्रस्तुत शमन मानचित्र की दो प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि उपरोक्त मानचित्रों पर अपने विभाग की निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में अपनी आख्या मानचित्र पर अंकित करते हुये, इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मानचित्र के निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार समय अन्तर्गत की जा सके।

1. मानचित्र जिस स्थान का जमा किया गया है, वह भूमि नजूल या नगर निगम की भूमि तो नहीं है।
2. उक्त भूमि जिसका मानचित्र जमा किया गया है वह किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अनुसार यदि निर्धारित समय के अन्दर विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कराया गया तो समझा जायेगा कि मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्नकः-मानचित्र की दो प्रति।

भवदीय

27/01/26

सचिव
फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि- श्री अशोक कुमार चन्द्र पुत्र स्व0 श्री मुरारीलाल, निवासी-शहजलपुर, शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण,

Scanned with OKEN Scanner

FOR OFFICE USE ONLY:-

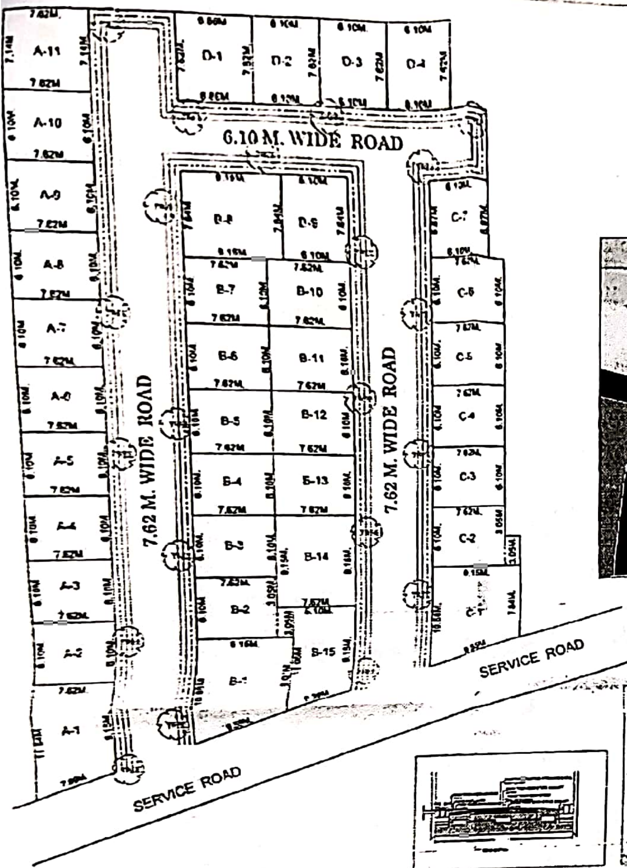

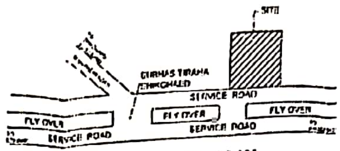

KEY PLAN
(NOT TO SCALE)

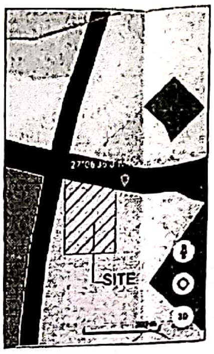

S. NO.	PLOT NO.	PLOT DIMENSION	NO. OF PLOTS	AREA	TOTAL AREA (IN SQ.M.)	UNIT
1.	A-1	7.81x10.35	1	78.73	78.75	2
2.	A-2 to A-10	6.10x7.62	9	46.47	418.23	18
3.	A-11	7.14x7.62	1	54.41	54.41	2
4.	B-1	9.37x9.45	1	86.37	86.37	2
5.	B-2	6.10x7.62&1.62x3.05	1	51.12	51.12	2
6.	B-3 to B-7	6.10x7.62	5	46.47	232.35	10
7.	B-8	7.64x9.15	1	69.90	69.90	2
8.	B-9	6.10x7.64	1	46.60	46.60	2
9	B-10 to B-13	6.10x7.62	4	46.47	185.88	8
10.	B-14	9.15x7.62	1	69.72	69.72	2
11.	B-15	10.11x6.25	1	61.60	61.60	2
12.	C-1	9.35x9.21	1	83.92	83.92	2
13.	C-2	6.10x7.62&1.52x3.05	1	51.12	51.12	2
14.	C-3 to C-6	6.10x7.62	4	46.47	185.88	8
15.	C-7	6.87x6.10	1	41.91	41.91	2
16.	D-1	6.86x7.62	1	52.27	52.27	2
17.	D-2 to D-4	6.10x7.62	3	46.47	139.41	6
	TOTAL		37		1900.17	74

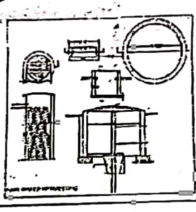

LEGENDS-

- BOUNDRY WALL OF COLONY -
- TREES -
- DALAV GHAR -
- PUBLIC URINAL -
- DRAIN -
- OVER HEAD TANK -
- RAIN WATER HARVESTING -
- ELECTRIC POLE -
- ELECTRIC SUB STATION / TRANFARMER -
- WATER LINE -
- SEWER LINE -
- FIRE HYDRANT -

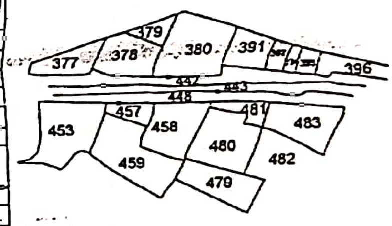

SAZRA PLAN

PROPOSED SUB -DIVISION PLAN FOR "MAHAVIR PLAZA" SITUATED AT PART OF KH.NO. 480 & 481 MOUJA SAHAJALPUR TEH.SHIKOHABD,DISTT. FIROZABAD

OWNER:- SHRI- ASHOK CHANDRA S/O LATE SHRI-MURARI LAL

AREA CHART IN SQ.MTS.

TOTAL LAND AREA AS PER KHATAUNI	:- 4940.00 SQ.MT.		
NET LAND AREA FOR LAYOUT	:- 2994.15 SQ.MT.	100.00	
PLOT AREA	:- 1900.17 SQ.MT.	63.46 %	
ROAD AREA	:- 1093.98 SQ.MT.	36.54 %	

OWNER'S SIGN

NORTH

DRAWN BY:-

Er. ANSHUL KUMAR
B.Tech, Civil (AMIE)
AM-1579-22

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शिकोहाबाद रेंज

दिनांक 30.04.2026

पत्रांक - 235/2-1

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग फिरोजाबाद

विषय- गाटा संख्या 480 शिकोहाबाद सुभाष तिराहा NH19 सर्विस पटरी स्थित (महावीर प्लाजा) परिसर में अवरोध खड़े वृक्षों का प्रजातिवार विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधि॰ [illegible] प्रकरण OA सं॰ 181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ० प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक 09-04-2026 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के समक्ष गाटा संख्या 480 शिकोहाबाद सुभाष तिराहा NH19 सर्विस पटरी पर स्थित परिसर (महावीर प्लाजा) की स्थलीय (क्षेत्रफल 0.3720 हे०) जाँच आज दिनांक 30.04.2026 को की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि उपरोक्त स्थल पर निम्न प्रजातियों के हरे खड़े वृक्ष पाये गये। जिन वृक्षों का विवरण निम्नवत है।—

क्र॰संख्या	प्रजाति का नाम	संख्या	दशा	अभियुक्त
1.	आम	11	हरा	—
2.	अशोक	07	—"—	—
3.	पाम	05	—"—	—
4.	जामुन	03	—"—	—
5.	करनगौन	03	—"—	—
6.	अलस्टोनिया	02	—"—	—
7.	बेल	02	—"—	—
8.	आंवला	01	—	—
9.	इमली	01	—	—
10.	अमरूद	01	—	—
11.	नीम	01	—"—	—
12.	शीशम	06	—	—
—	योग-	43		

उपर्युक्त स्थल परिसर में हरे खड़े वृक्ष जो उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न प्रजातियों- आम, शीशम, जामुन, इमली, नीम, बेल कुल 24 वृक्ष प्रतिषिद्ध प्रजाति के एवं अन्य 19 वृक्ष छूट प्रजाति के अन्तर्गत है जिसमें अशोक, पाम, करनगौन, अलस्टोनिया, आंवला, अमरूद आदि वृक्ष मौके पर खड़े हुये है जिसका नापा चित्र संलग्न है।

(संजय कुमार)
व०र०

क्षेत्रीय वनाधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

प्रभाग सं० 04/फिरोजाबाद/2026-27 ANNEXURE-10

प्रतिवाद सं. 33 रेन्ज केस सं० 2/फिरो०/2026-27

प्रभागीय वाद सं. 01

वन विभाग उ०प्र० परिधि(सर्किल) वृत्त भूमि क्षेत्र खण्ड(डिवीजन) फिरोजाबाद

अन्य अपराध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 प्रसूचना(रिपोर्ट) सं० .... दिनांक 22.04.2026 क्षेत्र रांज फिरोजाबाद

1\. नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान 1. अशोक कुमार पुत्र मुरारीलाल नि० साहबपुर तहसील शिकोहाबाद
2\. सुभाष चन्द्र पुत्र मुरारीलाल — " —
3\. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ... नि० शिकोहाबाद ... [illegible] शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

2\. साक्षी का नाम (मनोज कुमार) —व०र०

3\. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक आज दिनांक 22.04.2026 को उच्च स्तर से सूचना प्राप्त के आधार पर सुभाष तिराहा रांजीत पट्टी स्थित महावीर एनक्लेव परिसर में एक नीम वृक्ष एवं आम, जामुन की शाखायें अवैध रूप से काटना

4\. मूल्य 20000/-

5\. चालान और अपुसंधान(इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6\. प्रसूचना(रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 22.04.2026 को उच्च सूचना प्राप्त होने के आधार पर सुभाष तिराहा रांजीत पट्टी स्थित महावीर एनक्लेव परिसर की मेरे द्वारा जाँच की गई। जाँच में पता चला उक्त परिसर में नीम एवं शाखायें 1. नीम वृक्ष 96 गोलाई 103 सेमी. 2. आम शाखायें क्रमशः 102 सेमी, 75 सेमी, 70 सेमी. एवं जामुन की शाखायें क्रमशः 123 सेमी, 87 सेमी० कटे/कटी पाये गये। मौके पर प्रकाष्ठ नहीं पाया गया। मौके पर पूछने से पता चला बिना किसी विभागीय अनुमति से उक्त कार्य किया गया है, जो कि उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन है, जो कि दण्डनीय वन अपराध की श्रेणी में आता है।
अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय को सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

C.C
ह०
29/4/26

रेन्ज केस सं० 2/फिरो० ... [illegible]

(संजय कुमार)
वन दरोगा
वीट प्रभारी ...
रेन्ज फिरोजाबाद

क्षेत्रीय वनाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद

पत्रांक 4301/NGT फिरोजाबादः दिनांकः 25, अप्रैल, 2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
फिरोजाबाद।

विषय– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A. N0. 181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026

संदर्भ– अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 23.04.2026 ।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O. A. N0. 181/2026 दीपेन्द्र जैन बनाम उ०प्र० राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 का अंश निम्नप्रकार है :–

Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of District Magistrate, Firozabad, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Firozabad and Divisional Forest Officer, Firozabad and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law by giving opportunity of being heard to the concerned persons/project proponents and to submit action taken report within next one month.

उक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्थान पर आपको नामित किया जाता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 30.04.2026 को प्रश्नगत स्थल का समिति के अन्य सदस्यों के साथ निरीक्षण कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा वांछित संयुक्त जांच रिपोर्ट 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
फिरोजाबाद

पत्रांक 4301/NGT उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
फिरोजाबाद

Scanned with OKEN Scanner